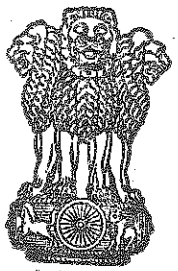

भारत का विधि आयोग

जैव-विविधता विधेयक

पर

एक सौ इकहत्तरवीं रिपोर्ट

जनवरी, 2000

न्यायमूर्ति
बी० पी० जीवन रेड्डी
चेयरमैन, भारत का विधि
आयोग

भारत का विधि आयोग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001
दू० भा० 33384475
निवास :—1 जनपथ,
नई दिल्ली–110001
दू० भा० 3019465

19 जनवरी, 2000

सं० 6(3)(60)/99–एल सी (एल० एस०)

प्रिय श्री जेठमलानी जी,

मैं एतद्द्वारा जैव-विविधता विधेयक पर 171वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं ।

2. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की (वर्ष 1998–99) अनुदानों की मांगों पर गृहकार्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 45वीं रिपोर्ट के पैरा 28 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि भारत के विधि आयोग द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, व्यापार तथा निवेश संबंधी विधियों तथा विश्व व्यापार संगठन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अन्य मामलों के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए ।

3. आयोग ने विधायी कार्य विभाग को दिए गए अपने उत्तर में विषय का अध्ययन करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा व्यक्त की थी परन्तु यह भी कहा था कि ऐसे अध्ययन के लिए निदेशपद निर्धारित किए जाने चाहिएं तथा यह भी कहा कि इन विषयों में नीति संबंधी मामले अन्तर्ग्रस्त हो सकने के कारण एक पूर्ण कालिक तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है । इसके पश्चात् आयोग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया । इस प्रकार आयोग ने आगे और प्रतीक्षा न करने का निर्णय किया तथा जैव-विविधता विधान के विशिष्ट मामले पर अध्ययन करना आरम्भ कर दिया । इससे पूर्व आयोग ने पेटेंट्स (संशोधन) विधेयक, 1998 पर अपनी 167वीं रिपोर्ट अग्रेषित की थी जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा विश्व व्यापार संगठन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है ।

4. हाल ही में, 29 दिसम्बर, 1999 विश्वपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में मनाया गया । जैव-विविधता संबंधी कन्वेंशन, जो वर्ष 1993 में इसी दिन अस्तित्व में आयी, एक मुख्य लिखत है जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी धरा पर जीवन के दुर्बल तंत्र के परिरक्षण के लिए तैयार की है । इस कन्वेंशन के 176 सदस्य हैं और इसके तीन मुख्य–उद्देश्य है : जैव-विविधता का परिरक्षण; उसके घटकों का जीवंत प्रयोग तथा अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों में उचित तथा समान भागीदारी ये तीनों क्षेत्र परस्पर-आश्रित हैं और इस कन्वेंशन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना अनिवार्य है । 5 से 7 मई के बीच पोर्ट आफ़ स्पेन त्रिन्डाड और टोबागो में आयोजित राष्ट्रमंडलीय विधिमंत्रियों की बैठक की विज्ञप्ति में मंत्रियों ने उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 ने जैविक संसाधनों के सुलभ होने से संबंधित प्रावधानों के महत्व को स्वीकार किया है । यह पाया गया कि जहां बहुत से विकासशील देश जैव-विविधता में समृद्ध हैं वहीं बहुत ही कम देशों ने अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को राष्ट्रीय विधान तथा व्यवहार में लाने के लिए कदम उठाए हैं । बैठक में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन के प्रावधनों के महत्व को भी नोट किया गया परम्परागत औषधियों में प्रयोग किए जाने वाले पौधों के अधिकारों के संदर्भ में भी कोई कम ध्यान नहीं दिया गया राष्ट्रमंडल सचिवालय से कन्वेंशन के क्रियान्वयन में परामर्श तथा सहायता देने के लिए आग्रह किया गया (कामनवैल्थ ला-बुल्लेटिन, खंड 25 स्प्रिंग 1999 पृष्ठ 563) ।

5. आयोग, ने, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए जैव-विविधता विधेयक का अध्ययन करना आरम्भ किया । विधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के विचार से विधेयक में बड़ी संख्या में परिवर्धनों

और संशोधनों की सिफारिश की गई। विशिष्ट प्राधिकरणों की भूमिका को सरल बनाया गया है और जैव-विविधता की सुलभता संबंधी प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किया गया है। जैव-विविधता के अप्राधिकृत दोहन और परम्परागत ज्ञान तथा स्थानीय समुदायों के ज्ञान की चोरी के विरुद्ध सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। विधेयक के प्रावधान स्थानीय समुदायों को जहां उनके ज्ञान का उपयोग किया गया है; लाभ में भागीदारी का हकदार बनाते हैं। हमें इस संबंध में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा कोलम्बिया सहित विभिन्न देशों में किए गए अनुसंधानों का लाभ प्राप्त है। हमने डा० एस० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनी जैव-विविधता विधान संबंध विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री को भी ध्यान में रखा है। हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन और परिवर्धनों से तथा जैव-विविधता के क्षेत्र में हमारी चिन्ताओं के समाधान की दृष्टि से विधेयक अधिक व्यवस्थित और विस्तृत हुआ है।

6. हमारे द्वारा तैयार किया गया विधेयक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जा रहा है और इसके प्रावधान स्वयं में स्पष्ट हैं।

सादर,

भवदीय

हस्ता–

(बी० पी० जीवनरेड्डी)

श्री राम जेठमलानी

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री,

शास्त्री भवन, दिल्ली

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जैव-विविधता विधेयक पर रिपोर्ट	1–2
2.	अनुबन्ध "क"–जैव-विविधता विधेयक, 2000	3–27

जैव-विविधता विधेयक पर रिपोर्ट

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की (वर्ष 1998–99) अनुदानों की मांगों पर गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 45 रिपोर्ट में यह इच्छा व्यक्त की थी कि भारत के विधि आयोग द्वारा बौद्धिक सम्पदा, अधिकारों, व्यापार तथा निवेश संबंधी विधियों तथा विश्व व्यापार संगठन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अन्य मामलों के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। उक्त रिपोर्ट में "सामान्य सिफारिशें" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 28 (जो विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा दिनांक 35-8-98 के पत्र के साथ विधि आयोग को भेजा गया था) का पाठ इस प्रकार है :

> "28 विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत देश में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय करार किए जा रहे हैं जिनका हमारे सामान्य वाणिज्यिक कार्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, व्यापार तथा निवेश, जिन पर अभी हाल के विगत वर्षों में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, देश के आर्थिक कार्यक्रम में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो गए हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विधि आयोग को इस क्षेत्र में अध्ययन आरम्भ करना चाहिए और एक निर्धारित समय सीमा में उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए"

भारत के विधि आयोग ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 1998 के पत्र संख्या एफ.सं. जी–2001 (1)–98–एल सी के द्वारा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग को सूचित किया कि आयोग संसदीय स्थायी समिति की इच्छा के अनुसार विषय का अध्ययन करने तथा अपनी उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है परन्तु उन्होंने मांग की कि अध्ययन के लिए उपयुक्त निदेशपद निर्देशित किए जाने चाहिए और एक पूर्वकालिक तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि इन विषयों में नीतिगत मामले भी अन्तर्ग्रस्त हो सकते हैं। यह अनुरोध भी किया गया कि दोहरे कार्य से बचने के लिए, संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा अब तक किए गए कार्य के बारे में भारत के विधि-आयोग को सूचित किया जाए। पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में, वर्तमान विधि आयोग को उसके गठन के समय जो निदेशपद दिए गए उनसे ही प्रश्नाधीन अध्ययन आरम्भ करना और सिफारिशें देना आयोग का दायित्व भी हो जाता है और उसे यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में आयोग ने, संबंधित मंत्रालय से विधियों की प्रतियां प्राप्त करके, यदि कोई तैयार किए गए थे, और प्रतीक्षा न करके स्वयमेव ही कार्य आरम्भ करना और विधेयकों पर अपने सुझावों, संशोधनों, परिवर्तनों और रुपान्तरों के साथ अपने विचार व्यक्त करना उचित समझा। तदनुसार विधि आयोग ने पेटेंटस (संशोधन) विधेयक, 1998 पर अपनी 167वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी एक प्रति माननीय उद्योग मंत्री को भेजी गयी थी, क्योंकि उद्योग मंत्रालय ने उक्त विधेयक तैयार किया था और उद्योग मंत्री विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर रहे थे।

विधि आयोग ने अब जैव-विविधता विधेयक का अध्ययन करना आरम्भ किया है जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और आयोग, उक्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रारूप विधेयक में विभिन्न परिवर्धनों, परिवर्तनों और संशोधनों की सिफारिश कर रहा है जो उसके विचार में विधान के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के प्रयोजन से आवश्यक हैं। प्रस्तावित विधान के उद्देश्य, विधेयक की प्रस्तावना में तथा जैव-विविधता कन्वेंशन (1992) की प्रस्तावना और उक्त कन्वेंशन के विभिन्न अनुच्छेदों विशेषकर अनुच्छेद 1, 3 और अनुच्छेद 15 के पैरा (1) और (5) में दिए गए हैं। हमने बड़ी संख्या में नई परिभाषाएं जोड़ी हैं। हमने केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट किया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रभावी बनाने के विचार से हमने उसके गठन में कुछ परिवर्तन किए हैं और राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि की है। जैव-विविधता की सुलभता संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। जैव विविधता के अप्राधिकृत दोहन और परम्परागत ज्ञान तथा स्थानीय समुदायों के ज्ञान की चोरी के विरुद्ध सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। संक्षेप में, वर्तमान कार्य का उद्देश्य जैव-विविधता के जीवंत उपयोग का परिरक्षण

और उसके लाभों में उचित तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तथा प्रक्रिया तैयार करना है। हमारे कार्य का एक उद्देश्य स्थानीय समुदायों को, जहां उनके ज्ञान का उपयोग किया जाए, लाभ में भागीदारी का हकदार बनाना है। विधेयक में हमारे द्वारा जो परिवर्तन किए गए है वे स्वतः स्पष्ट हैं और प्रत्येक परिवर्तन का इस भाग में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है विशेषकर इसलिए कि ये तकनीकी स्वरूप के है और इनको संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित विधान की सिफारिश करते हुए, हमने इस संबंध में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा कोलम्बिया सहित विभिन्न देशों में किए गए अनुसंधान कार्यों को ध्यान में रखा है। हमने कोलम्बया के कानून को इस संबंध में बहुत सहायक पाया है। आस्ट्रेलिया में किया गया कार्य भी लाभप्रद रहा है। विधि-आयोग ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा डा० एम० एस० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई जैव-विविधता विधान संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को तथा देश में और विदेशों में विभिन्न विशेषज्ञ निकायों, गैर सरकारी संगठनों तथा इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रकाशित कराई गई सामग्री साहित्य को भी ध्यान में रखा है। इस संबंध में हम विशेष रूप से अपने प्रारूप की धारा 3 का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें उरुग्वे राऊण्ड करार को लागू करने का उल्लेख है जो अमेरिका के उरुग्वे राऊण्ड एग्रीमेंट्स ऐक्ट 1994 की धारा 102 के अनुरूप है।

यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि दोहरे कार्य से बचने के लिए संलग्न विधेयक का आधार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विधेयक को माना गया है। हमने जिन परिवर्धनों तथा परिवर्तनों का सुझाव दिया है वे जैव-विविधता कन्वेंशन, 1992 तथा हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन और परिवर्धन न केवल व्यापक हैं अपितु जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे अधिकांश प्रयोजनों को पूरा करने के उद्देश्य से विधेयक को और अधिक व्यवस्थित और विस्तृत बनाते हैं।

हमारे द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किया गया विधेयक अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।
हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

हस्ता०
श्री न्यायमूर्ति बी० पी० जीवन रेड्डी
(सेवानिवृत्त)

श्रीमती न्यायमूर्ति लीलासेठ
(सेवानिवृत्त)
चेयरमैन

(डा० एन० एम० घटाटे)
सदस्य

17 जनवरी, 2000 (अवकाश पर)

(डा० सुभाष० सी० जैन)
सदस्य सचिव

अनुबंध "क"

जैव-विविधता विधेयक, 2000

जैव-विविधता के संरक्षण उसके घटकों के सतत प्रयोग तथा भारत में जैव-संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों में समान भागीदारी का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत में जैव विविधता तथा सम्बद्ध परंपरागत और समकालीन समृद्ध ज्ञान के संरक्षण तथा उसके सतत प्रयोग और इस प्रकार के प्रयोग से होने वाले लाभों की समान भागीदारी के लिए कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

और भारत में स्रोत स्तर पर जैव विविधता में महत्वपूर्ण कमी तथा हानि के कारणों का मूल्यांकन करने, उन्हें रोकने तथा उन पर प्रहार करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी तथा संस्थागत क्षमताएं विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है;

और यह कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने, जो 23 दिसम्बर, 1993 को कार्यान्वित हुई तथा भारत भी जिसका सदस्य था, पुनः अभिपुष्टि की है कि राष्ट्रों को अपने जैविक संसाधनों पर सार्वभौम अधिकार प्राप्त है और अपनी जैव विविधता का संरक्षण करने तथा जैविक संसाधनों का सतत प्रयोग करने, जैविक और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों की उचित तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी उनका ही दायित्व है।

और भारत अपनी जैव-सुरक्षा तथा देश के निवासियों के परंपरागत ज्ञान और व्यवहार सहित अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान करने की मूलभूत आवश्यकता को स्वीकार करता है और यह कि आवश्यक समझता है,

(क) जैव विविधता की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं और व्यवहारों के अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय विधि बचनबद्धता सुनिश्चित करना;

(ख) जैव विविधता की सुरक्षा और उसके घटकों के पारिस्थितिकीय सतत विकास के लिए एक राष्ट्रीय रूप रेखा स्थापित करना;

(ग) वैज्ञानिक अनिश्चितता को देखते हुए जैव विविधता में महत्वपूर्ण कमी तथा हानि के कारणों का अनुमान लगाने, रोकने तथा उन पर प्रहार करने के उद्देश्य से पूर्वापायपूर्ण सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के साधनस्वरूप निर्णय करने तथा कार्यों के लिए सुरक्षित जैव विविधता संरक्षण मानकों की स्थापना सुनिश्चित करना;

(घ) जातियों और पारिस्थितिकीय अनुवांशिकियों को आघात योग्य होने से बचाना और संवेदनशील विहार/निवास स्थलों की सुरक्षा;

(ङ) जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय संस्थागत तथा प्रशासनिक प्रबंधों को संहिताबद्ध करना;

(च) सभी प्राकृतिक स्रोत स्वामियों, प्रबंधकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्यों में, जिनके कार्यों से पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की संभावना रहती है, पर्यावरण के प्रति चिन्ता रखने के लिए जागरूकता स्थापित करना;

(छ) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना।

भारतगणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ—

अध्याय- 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैव विविधता अधिनियम , 2000 है ।

(2) इसका विस्तार समुद्रीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित समस्त भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(4) यह अधिनियम लागू होगा

(क) अपने जीव कोश, जातीय सामग्री, विशिष्टता, स्वभाव, उत्पाद और उनमें अन्तर्ग्रस्त प्रक्रियाओं के संबंध में, प्राकृतिक अथवा किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से उपांतरित रूप में अस्तित्व में आयी सभी सामान्य जातियों के, जंगली अथवा विकसित, पौधों तथा पशुओं और जीवाणुओं सहित जीवन के सभी प्रकार के स्वरूप ।

(ख) राज्यक्षेत्र तथा उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जलीय क्षेत्र में पाये जाने वाले किसी भी स्तर के महाद्वीपीय, खुले समुद्र के, समुद्र तटीय टापू संबंधी जैव संगठन ।

स्पष्टीकरण :—"महाद्वीपीय, खुले समुद्र के, समुद्रतटीय अथवा टापू संबंधी जैविक संगठों" से कवक, अगले सूक्ष्म जीवाणु पशु, वनस्पति जातियों तथा वंशज, चाहे जन्म से संबंध गैर पालतू, विकसित पालतू अथवा पालन से वंचित रहे हों, सम्मिलित तथा अभिप्रेत है ।

2. परिभाषाएं :—

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सुलभ" से अभिप्रेत है (क) किसी भी प्रयोजन से, जैविक, आनुवांशिक तथा प्रति-जातीय संपदा के नमूने, उनके उत्पाद उप-उत्पाद, व्युत्पन्न और पारिणामिक संश्लिष्ट उत्पाद और उनसे सहयुक्त ज्ञान, नवीन पद्धतियां और व्यवहार अभिप्राप्त करना (ख) उस सम्पदा से संबंधित ज्ञान, अन्वेषण अनुसंधान, उसके संग्रहण एकत्रीकरण रूपान्तरण, संचलन वाणिज्यकरण और औद्योगीकरण के उपयोजन सूचक क्रियाकलाप और जैविक, जातीय प्रतिजातीय संसाधनों के स्रोत के रूप में इनकी संख्या, पृथक-पृथक अस्तित्व रचना अथवा इनके भागों का उपयोग

(क) (i) "अधिनियम" से "जैविक विविधता अधिनियम, 2000 अभिप्रेत है ।

(ख) "अन्यदेशीय जाति" से वह जाति अभिप्रेत है जो मानवी क्रियाकलापों से साशय अथवा आकस्मिक रूप से बिखराव के परिणामस्वरूप उसके ऐतिहासिक रूप से ज्ञात प्राकृतिक सीमा बाह्य क्षेत्र में पायी जाती है (अन्यदेशीय जीवधारी, आनुवांशिक रूप में रूपान्तरित जीवधारी और स्थानांतरित जाति सहित) ;

(ख) (i) "लाभों" से जैविक संपदा के स्वामियों को (क) सामाजिक और पर्यावर्णीय उपयोगिता के और (ख) आर्थिक महत्व, जानकारी तथा प्रौद्योगिकी की सुगमता से संबंधित जैविक विविधता के किसी घटक का विकास करने के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ सहित उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ अभिप्रेत है ।

(ग) "जैव-विविधता प्रबंध समितियों" से धारा 14 के अधीन गठित जैव-विविधता प्रबंध समितियां अभिप्रेत है ।

(घ) "जैव-विविधता" से अभिप्रेत है सभी स्रोतों के, आनुवांशिक विविधता सहित विशिष्ट, जातियों, में, जातियों के बीच तथा पारिस्थितिकीय प्रणालियों की विविधता सहित पृथ्वी संबंधी, समुद्रीय तथा अन्य जलीय पारिस्थिकी प्रणाली तथा पारिस्थितिकीय प्रक्षेत्र जिनके वे भाग हैं, जीवित शरीरधारियों के बीच भिन्नता ;

(ङ) "जैव-संपदा" से अभिप्रेत है मानवता के वास्तविक अथवा सक्रिय प्रयोग अथवा उपयोगिता के लिए पौधे, पशु तथा सूक्ष्म जीवाणु अथवा उनके भाग, और उनकी आनुवांशिक सामग्री और उप-उत्पाद अथवा पारिस्थितिक प्रणाली के अन्य जैविक घटक !

स्पष्टीकरण:—भारत में पैदा होने वाले जंगली, देसी तथा पालतू जीव, इस बात पर विचार किए बिना कि वे इस समय भारत में पाये जाते हैं अथवा नहीं और भारत में पैदा होने वाले जीवाणु द्रव्य का विदेशी भंडार "जैव संपदा" नामक अभिव्यक्ति में सम्मिलित माना जाएगा ।

(च) "जैव-पूर्वेक्षण" से किसी भी प्रयोजन से जैव संपदा की जातियां उप जातियां "जीन," मौलिक सूक्ष्म तथा रस के लिए सर्वेक्षण करना तथा इन्हें एकत्र करना अभिप्रेत है तथा इसमें स्वरूपचित्रण, सूचीकरण और जैव-परीक्षण सम्मिलित है और इसमें जीवीय, आनुवंशीय वर्गीकरण संबंधी पहचान के लिए अन्वेषण, अनुसंधान एकत्रीकरण सूची तैयार करना, नमूने लेना तथा उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी स्रोतों की पहचान के लिए जीव जातीय ज्ञान और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अन्य क्रियाकलाप भी इसमें शामिल होंगे !

(छ) "जीव-क्षेत्र" से जीव-विज्ञान संबंधी सामाजिक तथा भौगोलिक लक्षणों को मिलाकर परिभाषित क्षेत्र, जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए अभिप्रेत है ।

(ज) "जैव क्षेत्रीय आयोजन" में पारिस्थितिकीय पोषणीय विकास तथा जीव-भौतिकीय ढांचे में जैव-विविधता परिरक्षण सम्मिलित है;

(झ) "जैव-सर्वेक्षण" और "जैवोपयोगिता" से किसी भी प्रयोजन के लिए जीव-विज्ञान संबंधी संपदा की जातियों, उपजातियों, जीन्स घटकों तथा सत्वों का सर्वेक्षण करना अथवा तथा एकत्रीकरण अभिप्रेत है और, इसमें स्वरूपचित्रण, सूचीकरण तथा जैव-परीक्षण भी सम्मिलित है ।

(ञ) "जैव-प्रौद्योगिकी" से अभिप्रेत होगा उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं के सृजन अथवा विकास के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी प्रयोग जिसमें जीव विज्ञान प्रणालियों, जीवित जीवों के अंगों अथवा उनके यौगिकों का उपयोग किया जाता है;

(त) "उप-उत्पाद" से अभिप्रेत है किसी उपाय-एवम् प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी जीवित अथवा मृतक जीव के संयुक्तांग, अणु अथवा कोई तत्व,

(थ) "जैव-विविधता के संरक्षण" से अभिप्रेत है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अनुरक्षण करते हुए वर्तमान पीढ़ी के लिए अधिकतम स्थाई लाभ सुनिश्चित करने हेतु मानवी परस्पर क्रिया तथा जीन्स जातियों तथा परिस्थिति प्रणालियों का प्रबंधन और इसमें जैव विविधता का संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, पुनर्वास, प्रत्यास्थापन और वृद्धि करना भी शामिल होगा,

(द) "जैव-विविधता सम्मेलन" से जून, 1992 में ब्राजील के रिओ डी जैनिरो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 5 जून, 1992 को जैव-विविधता

पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित गोष्ठी जो 29 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हुई अभिप्रेत है ।

(ढक) "पारिस्थितिकी प्रणाली" से वनस्पति, पशु तथा सूक्ष्म जीव समुदायों तथा उनके अजैविमान पर्यावरण का एक ऐसा क्रियात्मक सम्मिश्र अभिप्रेत है जो मानव जाति सहित एक क्रियात्मक यूनिट के रूप में परस्पर कार्यरत है ।

(ढ) "समान लाभ भागीदारी" से राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा और जहां संगत हो वहां स्थानीय निकायों और अथवा व्यक्तियों तथा जैविक संसाधनों, उनके उप उत्पादों ज्ञान आविष्कारों तथा उनके प्रयोग और उपयोग से सम्बद्ध व्यवहारों के लिए आवेदन-कर्त्ता के परामर्श से परस्पर सहमत लाभों की भागीदारी अभिप्रेत है ।

(न) "परिस्थितिवाह्य संरक्षण" से जैव-विविधता के घटकों का उनके प्राकृतिक निवास स्थानों से बाहर संरक्षण अभिप्रेत है और "परिस्थिति-बाह्य संरक्षण केन्द्र से कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जैविक तथा आनुवांशिक स्रोत उनके प्राकृतिक निवास स्थानों से बाहर के स्थानों पर, वानस्पतिक बागान, शाकसंग्रहालय, कृषिकेन्द्र और जीवाणु द्रव्य बैंक सहित, संरक्षित रखे जाते है;

(प) "आनुवांशिक सामग्री" से कोई भी सामग्री, पौधा, पशु, अणुजीवीय अथवा अन्य मूल के जिनके मिट्टी तथा तलछट में अन्तर्विष्ट आनुवांशिक सामग्री सहित आनुवांशिक कार्यात्मक यूनिट अन्तर्विष्ट है और आनुवांशिक स्रोतों से वास्तविक तथा क्षमतावान मूल्य की आनुवांशिक सामग्री अभिप्रेत है :

(फ) परम्परागत स्थान "से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संरक्षण तथा सत्व प्रयोग से संबंधित जैविक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और राज्य सरकार द्वारा वर्तमान अधिनियम के अधीन अधिसूचित किए गए हैं;

(ब) "देशीय पारिस्थितिकी संरक्षण" से परिस्थिति की प्राकृतिक निवास स्थानों का संरक्षण और जातियों की महत्वपूर्ण संख्या उनके प्राकृतिक परिवेशों में अनुरक्षण और समुत्थान और देशी तथा पालतू प्रजातियों के मामले में उन परिवेशों में जहां उन्होंने अपनी-अपनी विशिष्टताएं विकसित की हैं;

(भ) "ज्ञान" से अपेक्षित भौतिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया ज्ञान अभिप्रेत हैं;

[भ(एक)] "स्थानीय समुदाय" से ऐसे मानव ग्रुप अभिप्रेत होगा जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां उसे अन्य राष्ट्रीय सामूहिक अन्य क्षेत्रों से भिन्न बनाती हैं और पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अपने व्यवहारों अथवा परम्पराओं से अथवा विशिष्ट विधान द्वारा शासित हैं;

(म) "राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण" से धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(य) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है

(र) "परिस्थितिकी पोषणीय विकास के सिद्धान्तों" में पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रयोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अन्य चीजों के साथ, निम्नलिखित सिद्धान्तों और कार्यक्रम को क्रियान्वित करके प्राप्त किया जाएगा, दीर्घावधि पर्यावरणीय तथा आर्थिक प्रतिफलों का प्रभावी समाकलन सम्मिलित हैं;

(एक) पूर्वावधानी सिद्धान्त, का निहितार्थ है कि यदि जैव-विविधता के कम होने या हानि होने का खतरा है अथवा गंभीर अथवा अपरिवर्त्य पर्यावरणीय क्षति का

खतरा है तो पूरी वैज्ञानिक निश्चितता न होने को ऐसे खतरे को रोकने या न्यूनतम स्तर पर लाने के उपायों को स्थगित करने का आधार नहीं माना जाएगा;

(दो) "अन्तर-पीढ़ी साम्या" से अभिप्रेत है कि वर्तमान पीढ़ी को यह सुनिश्चित करना कि भावी पीढ़ियों के लाभार्थ पर्यावरण के स्वास्थ्य, विविधता और उत्पादकता का अनुरक्षण किया जाएगा अथवा उसमें वृद्धि की जाएगी ।

(तीन) जैव-विविधता तथा पारिस्थितिकी समग्रता का मुख्य तथा प्राथमिक आवश्यकता के रूप में संरक्षण;

(चार) पर्यावरणीय संपदा का उचित मूल्यांकन और मूल्यनिर्धारण

(पाँच) क्रियाकलापों तथा नीतियों के स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्तरों पर पर्यावरणीय प्रभाव को मान्यता ।

(छः) निर्णय करने की प्रक्रिया में तथा नीतियां, कार्यक्रम और योजनायें बनाने में सामुदायिक भागीदारी की संगतता

(ल) "पूर्व सूचित सहमति" से जैव संपदा और/अथवा उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवेदन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, प्राप्त करने का आशय तथा इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण पूर्णतया प्रकट करते हुए, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहमति अभिप्रेत है ।

(व) "संरक्षित क्षेत्र" भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो विशिष्ट संरक्षण परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए अभिहित अथवा विनियमित और व्यवस्थित किए जाते हैं;

(श) "अनुसंधान" से अभिप्रेत है किसी जैविक स्रोत का अध्ययन अथवा क्रामिक अन्वेषण अथवा प्रौद्योगिकि उपयोजन जिसमें किसी प्रयोग के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं को बनाने और संशोधित करने के लिए जैविक प्रणालियों जीवित-जीवाणुओं अथवा उनके तत्वों का प्रयोग होता है ।

(ष) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियम अभिप्रेत हैं;

(षक) "विनियमन" से राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विनियमन अभिप्रेत हैं;

(षख) "राज्य जैव-विविधता बोर्ड" से धारा---15 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रत हैं ;

(षग) "सतत प्रयोग" से जैव--विविधता के घटकों का इस प्रकार तथा इस दर से प्रयोग अभिप्रेत है, ताकि जैव विविधता का दीर्घावधिक ह्रास न हो, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की इसकी क्षमताओं को बनाये रखा जा सके ।

(षघ) "विलुप्त हो रही प्रजातियां" से ऐसी प्रजातियाँ अभिप्रेत हैं, जो विलोपन के तत्काल खतरे में हैं या विलुप्त होने वाली हैं या भविष्य में विलुप्त होने के खतरे में हैं, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है ।

(षड) "उरुग्वे राऊन्ड करार" से "गैट" विश्वव्यापार संगठन के तत्वावधान में बातचीत के उरुग्वे राऊन्ड के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए सभी करार अभिप्रेत हैं और इसमें सभी करार शामिल हैं ।

(षच) "वाउचर नमूना" से सन्दर्भ नमूना अभिप्रेत हैं ;

(2) यहां जो शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं की गयी है उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो जैव विविधता सम्मेलन में निर्दिष्ट किया गया था;

(3) **उरुग्वे राऊन्ड करार का लागू होना :**---व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी करार सहित उरुग्वे राऊन्ड करार का कोई भी प्रावधान जहां तक कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान से असंगत है, प्रभावी नहीं होगा ।

अध्याय-2

राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना और गठन

राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की स्थापना और गठन :—

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित एक निकाय होगा, जिसके पास निरन्तर स्थायी शक्ति और चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों को प्राप्त करने, रखने और उसका निपटान करने तथा करार करने का एक सामान्य अधिकार होगा और यह इसी नाम से मुकदमा चला सकेगा तथा इस पर इसी नाम से मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण केंद्रीय सरकार की अनुमति से भारत में या भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर कार्यालय या प्राधिकरण स्थापित कर सकता है ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा :–

(क) अध्यक्ष, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो निर्धारित सुविज्ञता और अनुभव वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा :

(ख) दो सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, इनमें से एक वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान के क्षेत्र से होगा :

(ग) पांच सदस्य, पदेन, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित अपने अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे ;

(एक) कृषि अनुसंधान और शिक्षा;

(दो) जैव–प्रौद्योगिकी ;

(तीन) समुद्र विकास ;

(चार) विधि ; और

(पांच) पेटेन्ट ।

(घ) पांच सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा इन विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से नियुक्त किये जायेंगे जो निम्न से संबंधित मामलों के जानकार हों तथा इन मामलों के विशेषज्ञ हों :—

(एक) जैव विविधिता के संरक्षण ;

(दो) जैव संसाधनों के सतत उपयोग तथा ऐसे उपयोग से प्राप्त लाभों की उचित हिस्सेदारी ;

(तीन) जैव संसाधनों के संरक्षण और सृजन तथा ऐसे उपयोग से संबंधित ज्ञान और जानकारी रखता हो ;

(चार) उपरोक्त मामलों में विधिक विशेषज्ञता, और

(पांच) उद्योग और वाणिज्य ।

(5) उप धारा (4) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य होंगे तथा उनकी नियुक्ति की अवधि नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(6) अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, सेवानिवृत्ति की आयु, यदि कोई है, जैसा कि निर्धारित की जाये के अध्याधीन दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होंगे ।

(7) राष्ट्रीय प्राधिकरण या धारा 8 के अन्तर्गत इसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्न कारण से अमान्य नहीं होगी :

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण या ऐसी समिति में किसी रिक्ति या इनके गठन में किसी दोष; या

(ख) प्राधिकरण या ऐसी समिति की प्रक्रिया में किसी अनियमितता, जो इस मामले के महत्वों पर कोई प्रभाव न डालती हो ।

(8) राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों (गणपूर्ति सहित) में कार्यों के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा जैसे कि विनियम द्वारा निर्धारित किये जाये ।

(9) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी गैर-सरकारी सदस्य को पद से हटा सकती है,

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो ;

या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास का दंड दिया गया हो जो केंद्रीय सरकार के विचार में नैतिक अधमता का विषय है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम हो गया हो ; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त कर लिए हों जो सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल सकते हों ; या

(ङ) अपने पद का इतना दुरूपयोग किया जो कि उसका पद पर कार्य कार्यरत रहना लोकहित के प्रतिकूल समझा जाए ।

5. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

(1) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते के लिए पात्र होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि अन्य मामलों के संबंध में उन पर ऐसी सेवा शर्तें लागू होंगी जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायें ।

(2) धारा (4) की उपधारा (4) के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त कर सकेंगे तथा उन पर ऐसी शर्तें लागू होंगी जैसी कि निर्धारित की जायें ।

(3) धारा (4) की उपधारा (4) के खण्ड (ख) या (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य के अलावा, कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर सदस्य को अपने पद से कार्य मुक्त हुआ माना जायेगा ।

6. अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी होगा

अध्यक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और ऐसे कर्तव्यों को निभा सकेगा जैसा कि निर्धारित किए जाये ।

7. सचिव, मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

(1) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जैसे कि निर्धारित किए जायें या जैसे कि अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपें जायें ।

(2) सचिव तथा मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी पर छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तें लागू होंगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जायें ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए इतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जितने कि आवश्यक हों तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विनियमों द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायें ।

7क. कोई अन्य कार्य करने पर प्रतिबन्ध

धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के अलावा, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से अलग कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे ।

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण की समितियां

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसी समितियों का सृजन कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन इसमें कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने और इसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण को उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी समिति में सदस्य के रूप में इतने व्यक्तियों को, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य न हों, सहयोजित करने का अधिकार होगा जितने वह उपयुक्त समझे तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उतने भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे, जितने कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियत किए जाएं ।

अध्याय-3

केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व

1. संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सामान्य उपबंध

(1) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से तथा देश में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों और समताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य करेगी :-

(क) जैव-विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग के लिए राष्ट्रीय नीति, योजनाएं या कार्यक्रम विकसित करेगी तथा इस प्रयोजन के लिए विद्यमान नीतियों, योजनाओं या कार्यक्रमों को अनुकूल बनायेगी ;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगी, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान का जो पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से स्वच्छ तथा सुरक्षित हो, पूर्ण उपयोग करते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन, संरक्षण और वितरण की पद्धतियों में सुधार लाने वाले हों तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्यों के अनुकूल वर्तमान कृषि पद्धति को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में उन्मुख हों ;

(ग) प्रजनन फार्मों के माध्यम से उन्नत की गयी विकसित प्रजातियों अथवा पदार्थों, जिनका उपयोग पौष्टिकता या औषधीय आधार के रूप में होता है या जिनका संवर्धनात्मक उपयोग हो सकता है, के संबंध में पेटेंट या अन्य विशिष्ट बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान लिखित आदेश द्वारा निषिद्ध करना, यदि ऐसे अधिकार फसलों अथवा पशु प्रजातियों अथवा राष्ट्र के समग्र जैव-संरक्षण की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करें या इनसे ऐसी संभावना हो ;

परन्तु यह कि प्रभावित पक्ष को, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पूर्व, अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण---इस खण्ड के अधीन निषेध पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत उपलब्ध अन्यान्य विपणन अधिकारों, पर भी लागू होगा ।

(घ) ऐसी पद्धति का निर्धारण करेगी, जिसके अनुसार राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि का उपयोग किया जायेगा ।

(ङ) किसी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक गैर-नागरिक निवासी अथवा अनिवासी हो, द्वारा भारत से प्राप्त जैविक संसाधन और इससे संबंद्ध ज्ञान के संबंध में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण की स्वीकृति के मामले में अपना प्रत्युत्तर निर्धारित करना ।

(च) प्राकृतिक संसाधन, लेखा प्रणाली और तकनीकी विकसित करने तथा आर्द्र-भूमि, कच्छ बनस्पति और मूंगा चट्टान जैसी निष्पक पारिस्थितिकी प्रणाली का संरक्षण करने हेतु कदम उठाएगी ।

(छ) मीडिया और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जैव-विविधता के प्रसारण सहित इसके संरक्षण के महत्व के ज्ञान और इसके लिए अपेक्षित उपायों को बढ़ावा और प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाएगी ।

(ज) तटीय और समुद्री क्षेत्रों में समुद्र तल या अधमृदा के अन्वेषण और दोहन या समुद्र की तलहट्टी की आकृति के परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने हेतु उपाय करेगी ।

राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य तथा शक्तियाँ

10. राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य

(1) ऐसे निदेशों के अध्यधीन जैसे कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, राष्ट्रीय प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे उपाय शुरू करे और उन्हें क्रियान्वित करे जैसे कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हों तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त आदेश जारी करे तथा भारत की जैव-विविधता की सुरक्षा और इसके सतत उपयोग के लिए उपयुक्त निदेश दे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित कदम उठायेगा :—

(क) जैव-विविधता के महत्वपूर्ण घटकों का निम्न को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और सतत उपयोग हेतु पता लगाना ।

(एक) अधिक विविधता वाली पारिस्थितकी प्रणालियों और प्राकृतिक निवास स्थलों बड़ी संख्या में स्थानीय या विलुप्त हो रही जातियों अथवा जंगलों जो प्रवासी जातियों के लिए अपेक्षित या जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्व या जो प्रतिनिधिक, अद्वितीय या मुख्य विकासात्मक या अन्य जैव-प्रक्रियाओं से संबद्ध ;

(दो) विलुप्त प्रायः तथा पालतू विकसित जातियों की वन्य संबंधी जातियां और समुदाय, या जो औषधीय, कृषि या अन्य आर्थिक महत्व या जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में अनुसंधान हेतु महत्व सूचक प्रजातियों; और

(तीन) सामाजिक, वैज्ञानिक या आर्थिक महत्व केज्ञात जेनम्स और जीन ।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के अनुसार अभिज्ञात जैव-विविधता के घटकों का नमूना और अन्य तकनीकों के माध्यम से निगरानी, उन पर विशेष ध्यान देना, जिनके लिए तत्काल संरक्षण उपाय किए जाने आवश्यक हों तथा जो सतत उपयोग की अधिकरण क्षमता रखते हों ;

(ग) उन प्रक्रियाओं और श्रेणियों या गतिविधियों का पता लगाना जिनका जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो तथा नमूना और अन्य तकनीकों के माध्यम से उनके प्रभाव की निगरानी करना ;

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अनुसार गतिविधियों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने से प्राप्त आंकड़ों को किसी भी तन्त्र से बनाये रखना और उन्हें व्यवस्थित करना ;

(ङ) उन संरक्षित क्षेत्र या क्षेत्रों की एक प्रणाली स्थापित करना जहां जैव-विविधता के संरक्षण हेतु पर्यावरण, वन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों के सामान्य के साथ विशेष उपाय करने आवश्यक हैं ;

(च) उन संरक्षित क्षेत्र या क्षेत्रों जहां जैव विविधता के संरक्षण हेतु विशेष उपाय किए जाने आवश्यक हों, के चयन, स्थापना और प्रबन्धन के लिए, जहां आवश्यक हो, मार्ग निर्देश विकसित करना ;

(छ) जैव-विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण जैव वैज्ञानिक संसाधनों को विनियमित करना या उनका प्रबन्धन करना, चाहे ये संरक्षित क्षेत्र के अन्दर हों या उससे बाहर हों ताकि उनका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा देश के अन्दर उपलब्ध सभी जैव और अनुवांशिक संसाधनों के पंजीकरण की प्रणाली स्थापित की जा सके तथा उल्लिखित विवरण इसमें दिया जा सके ।

(ज) पारिस्थितिकी प्रणाली, प्राकृतिक वास की सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक वातावरण में किस्मों की व्यवहार्य संख्या का रखरखाव करना ;

(झ) संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से परिपूर्ण और सतत विकास को बढ़ावा देना ।

(ञ) योजनाओं या अन्य प्रबन्धनीय नीतियों के विकास और क्रियान्वयन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ अवनत पारिस्थितिकी प्रणालियों में सुधार लाना और उन्हें पुनः स्थापित करना तथा विलुप्त होती जा रहीं जातियों की सदस्य संख्या को बढ़ावा देना ।

(ट) जैव-प्रौद्योगिकी से उत्पन्न उन जीवित रूपान्तरित जीवों के उपयोग और नियुक्ति से संबद्ध खतरों के विनियमन, प्रबन्धन या नियन्त्रण के साधन स्थापित करना या उनका रख रखाव करना जिनका प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, जो मानव स्वास्थ्य के खतरे को भी ध्यान में रखते हुए जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रभावित कर सकते हों ;

(ठ) उन विदेशी किस्मों के प्रवेश को रोकना तथा उन्हें नियन्त्रित या उनको नष्ट करना जो पारस्थितिकी, प्राकृतिक वास या किस्मों के लिए खतरा उत्पन्न करें;

(ड) जैव-विविधता के वर्तमान उपयोगों और उसके संरक्षण तथा इसमें घटकों के सतत उपयोग के बीच अनुकूलता लाने के लिए अपेक्षित परिस्थिति उपलब्ध कराने का प्रयास करना ;

(ढ) जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए संबद्ध परम्परागत जीवन शैली वाले स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचार और पद्धतियों को सुरक्षित रखना तथा बनाये रखना तथा ऐसे ज्ञान, नवाचार और पद्धतियों के धारकों के अनुमोदन और इसमें शामिल होने के साथ ऐसे ज्ञान, नवाचार और पद्धतियों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित बटवारे को प्रोत्साहन देना; जैव-संसाधनों के स्वामियों का पता लगाना तथा धारा-18 के प्रावधानों के अध्याधीन लाभ बटवारे के संबंध में उपयुक्त आदेश देना ;

(ण) जोखिम वाली किस्मों और जनसंख्या की सुरक्षा के लिए आवश्यक विनियामक प्रावधानों को विकसित करना और उनका रखरखाव करना ;

(त) जैव-विविधता के घटकों की परिस्थिति-बाह्य संरक्षण के लिए उपाय करना;

(थ) पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के परिस्थिति-बाह्य संरक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं स्थापित करना और उन्हें बनाये रखना ;

(द) जोखिम वाली किस्मों को प्राप्त करने और उनके पुनः स्थापित करने के लिए तथा उपर्युक्त परस्थिति में उनके प्राकृतिक वास में उन्हें पुनः लाने के लिए उपाय करना;

(ध) परिस्थिति बाह्य संरक्षण के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक वास से जैव-संसाधनों को विनियमित करने और उनको एकत्र करने का प्रबन्ध करने ताकि वह उपरोक्त परिस्थिति-बाह्य उपाय अपेक्षित हो, के अलावा, किस्मों की पारिस्थितिकी प्रणालियों और देशीय परिस्थितिजन्य संख्या के लिए कोई खतरा न हो ।

(न) जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को, जहां तक संभव हो और जितना उचित हो संबद्ध क्षेत्रीय या क्रास-क्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में समेकित करना ;

(प) प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव, जो जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो के आकलन के लिए उपाय करना ताकि ऐसे प्रभावों से बचा जा सके या इन्हें कम से कम किया जा सके तथा जहां उपयुक्त हो, ऐसी प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने की अनुमति देना ;

(फ) जैव-विविधता के घटकों और इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया ईजाद करना और उनकी निगरानी करना, निम्नीकृत पारस्थितिकी प्रणालियों को पुनः स्थापित करना और संकटापन्न किस्मों को पुनः प्राप्त करना तथा जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के संबंध में शैक्षिणिक और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने के लिए कदम उठाना ;

(ब) जैव-प्रौद्योगिकी से उत्पन्न उन जीवित रूपान्तरित जीवों के उपयोग और नियुक्ति से संबद्ध खतरों के विनियमन, प्रबंधन या नियन्त्रण के उपाय करना, जिनका प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जो मानव स्वास्थ्य के खतरे को भी ध्यान में रखते हुए जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रभावित कर सकते हों ;

(भ) जैव-विविधता और इसके घटकों के अभिज्ञान, संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए किए गए उपायों में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम बनाना और उनका रखरखाव करना तथा प्रत्येक राज्य की विशेष जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना ;

(म) प्रत्येक राज्य में जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में सहायक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(य) जैव–विविधता में वैज्ञानिक प्रगति के उपयोग तथा जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए पद्धतियों के विकास करने में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा इसमें सहयोग प्रदान करना ;

(र) राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के अन्य एककों को केंद्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचना करना ;

(ल) ऐसे अन्य कार्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं ।

11. जैव-संसाधनों की लाभ हिस्सेदारी के लिए विशानिर्देश

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्न के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा :–

(क) कानून तथा राज्य की प्रचलित रीतियों के आन्तरिक स्थानीय व्यक्तियों को गैर-इमारती लकड़ी वन-उत्पादों के संबंध में उपलब्ध अधिकारों को प्रभावित किए बिना इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुकूल जैव संसाधनों तक की पहुंच और उनके लाभ में हिस्सेदारी को विनियमित करना ।

(ख) अत्यावश्यकता के मामले के रूप में इसके कार्यान्वयन हेतु जैव-क्षेत्रीय आयोजना और नीतियों के लिए कार्य-प्रणाली विकसित करना । इस प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण सक्षम होगा कि वह जैव-क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करे तथा उनकी घोषणा करे तथा जैव–क्षेत्रीय आयोजना के आधार पर आधारभूत विचार के रूप में एहतियाती सिद्धांत अपनाये और जैव-क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर जैव-विविधता की सुरक्षा और उसके रखरखाव के लिए बेहतर नीतियां विकसित करने हेतु संबंधित समूहों के साथ परामर्श करे ;

(ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र तथा जैव–विविधता बोर्डों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों सहित, एकत्र किए गए आंकड़ों को संकलित करना, उनका रखरखाव करना तथा लोगों को उपलब्ध कराना ;

(घ) अन्य बातों के साथ-2 जहां आवश्यक हो, जैव-संसाधनों के "स्वामियों" की पूर्व-सूचित सहमति प्राप्त करने का प्रावधान करते हुए राष्ट्रीय आधार पर जैव-विविधता की सुलभता विनियमित करना ।

(ङ) राज्य जैव-विविधता बोर्डों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में धारा 12 के अधीन गठित राज्य जैव-विविधता बोर्डों को निदेश प्रदान करना ।

अध्याय-4

राज्य-विविधता बोर्ड तथा जैव-विविधता प्रबन्ध समिति

राज्य जैव-विविधता बोर्ड

(1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक निकाय का गठन कर सकता है जिसे— (राज्य का नाम) जैव विविधता बोर्ड के नाम से जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य जव-विविधता बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा तथा सौंपे गए कार्य करेगा ।

(2) बोर्ड के विचारार्थ विषय, संघटन और रचना ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इसकी ओर से बनाये गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाए ।

13. राज्य बोर्ड के कार्य

(1) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैव-विविधिता बोर्ड धारा–II के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे ।

(2) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैव–विविधता बोर्डों का यह कर्तव्य होगा कि वे निम्न के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श दें :—

(क) जैव–विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग तथा जैव-संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के सूचित बंटवारे से संबंधित मामलों ; और

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता निधि' जैसा भी मामला हो, के उपयोग ।

14. नगरपालिकाओं और पंचायत में जैव-विविधता प्रबन्ध समितियां

(1) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राकृतिक वासों की सुरक्षा, भूमि की प्रजातियों लोक उप–जातियों और कृषकों के संरक्षण, पालतू पशुधन और जानवरों की नसलों के संरक्षण तथा सूक्ष्म जीवों के साथ-साथ जैव-विविधता संसाधनों के संरक्षण और इससे संबंधित ज्ञान/उपयोगों सहित जैव-विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के अन्दर प्रत्येक नगरपालिका और पंचायत में जैव-विविधता प्रबन्ध समितियां गठित करेगा ।

(2) जैव-विविधता प्रबन्ध समितियां अपने क्षेत्र अधिकार के अन्तर्गत जैव संसाधनों के उपयोग और इससे सम्बद्ध ज्ञान से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैव-विविधता बोर्डों से परामर्श करेगी ।

(3) जैव-विविधता प्रबन्ध समितियां, ऐसे अन्य कार्य करेंगी जैसे कि इसके लिए बनाये गए विनियमों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य जैव-विविधता बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे जाएं ।

अध्याय-5

अन्य मामलों में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सामान्य शक्तियां

15. **जैव-विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान की सुरक्षा**—राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्न कार्य करेगा :—

(क) जैव-विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तथा अधिकारों की सुरक्षा ऐसे तरीके से, ऐसे ज्ञान के पंजीकरण जैसे उपायों के माध्यम से करेगा, जैसा कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्धारित किए जायें ;

(ख) स्थानीय समुदायों के संवर्धनात्मक अधिकारों की सुरक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि स्थानीय समुदाय जैव–विविधता और इससे संबंधित मामलों के उपयोग तथा संरक्षण के लिए अपनी स्वयं की उत्पादक और संवर्धनात्मक पहल करे ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा कि स्थानीय समुदायों को जैव विविधता संरक्षण के उनके सतत कार्यों तथा विकसित या देशीय जातियों या प्रजातियों में सुधार लाने और उनका चयन करने के उनके कार्य के लिए प्रतिपूर्ति की जाये ;

(ङ) स्थानीय समुदायों के ज्ञान और परम्परागत प्रक्रियाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से उत्प्रेरक, प्रोत्साहक, कानूनी सहायता और पर्यवेक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु कदम उठाना (स्थानीय समुदायों द्वारा प्रतिपादित और कार्यान्वित परियोजनाओं के माध्यम से) ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, स्थानीय समुदायों और स्थानीय लोगों के परम्परागत और सामूहिक ज्ञान की रक्षा तथा सुरक्षा करने हेतु चाहे ये सामूहिक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सक्षम प्रजनन प्रणाली के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, तथा स्थानीय समुदायों के ज्ञान की जैव-चोरी और अन्य चोरी रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा ।

16. पूर्व सूचित सहमति से कार्यकलाप

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का स्थायी निवासी या नागरिक नहीं है, या कोई निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन जो भारत में पंजीकृत नहीं है, या जो भारत में पंजीकृत है, किन्तु उसकी इक्यूटि या प्रबन्ध में विदेशी नागरिकों की भागीदारी है, भारत में पाये जाने वाले किसी जैव-संसाधन के उसके अनुसंधान वाणिज्यिक उपयोग या जैव-पूर्वेक्षण, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग करने हेतु कोई संबद्ध ज्ञान न तो प्राप्त कर सकेगा और न ही प्राप्त करने की उसे अनुमति दी जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना भारत के ऐसे किसी भी नागरिक को, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खण्ड (30) में दी गई परिभाषा के अनुसार अनिवासी है । भारत में पाये जाने वाले किसी जैव-संसाधन, उसके अनुसंधान वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग हेतु संबद्ध ज्ञान न तो प्राप्त हो सकेगा और न हीं प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी ।

(3) (क) भारत का कोई नागरिक, भारत में पंजीकृत कोई निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्व –अनुमोदन के बिना किसी जैव–संसाधन के संबंध में उसके द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणाम को निम्नलिखित में से किसी को भी अन्तरित नहीं करेगा :–

(एक) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है ;

(दो) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है ; किन्तु सामान्यतया भारत से बाहर रह रहा है ;

(तीन) कोई निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन, जो भारत में पंजीकृत नहीं है ;

(चार) कोई निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन, जो भारत में पंजीकृत है किन्तु जिसकी पूंजी या प्रबन्ध में विदेशी नागरिक की भागीदारी है ।

परन्तु यह कि संगोष्ठियों और प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान के बंटवारे को इस उपधारा की सीमा से अलग रखा जायेगा, जहां ऐसे प्रकाशन सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है और ऐसी संगोष्ठियां या अन्य मीडिया में प्रस्तुत पत्र संबंधित पत्रिकाओं में व्यापक रूप से परिचालित या प्रकाशित किए जाते हैं।

परन्तु यह और कि भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों और इसी प्रकार अन्य देशों में स्थित संस्थानों सहित संस्थानों के बीच जैव-संसाधनों तथा उनसे संबंधित सूचना के स्थानान्तरण और विनियमन वाली सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं भी उप धारा (1) और (2) के प्रावधानों से अलग रखी जायेंगी बशर्ते कि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण के समग्र नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार बनायी गयी हों तथा इन्हें केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो ।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधान, प्राप्त जैव संसाधन और संबद्ध ज्ञान के तृतीय पक्ष को अन्तरित किए जाने पर भी लागू होंगे ।

(5) (क) भारत का कोई नागरिक, निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन, जो भारत में पंजीकृत है, जैव या आनुवांशिक संसाधनों की सुलभता के लिए निर्धारित विवरण के साथ निर्धारित फार्म में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन-जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। "सुलभता की विशेष व्यवस्था" के अन्तर्गत विचार किए जाने हेतु परम्परागत ज्ञान को संबद्ध संसाधनों की सुलभता के लिए तथा सुलभता की सामान्य व्यवस्था" के अन्तर्गत विचार किए जाने हेतु उन संसाधनों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे । ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित बोर्ड आवेदन में अन्तर्विष्ट प्रत्येक विवरण के संबंध में 30 दिन की अवधि के अन्दर राष्ट्रीय प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेगा । ऐसी टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद या 30 दिन समाप्त होने पर यदि ऐसी टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर विचार करेगा । इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों को देखते हुए तथा ऐसी जांच के बाद, जो कि उपयुक्त पायी जाये, प्राधिकरण ऐसी शर्तों, जो कि उपयुक्त पायी जायें, के अध्यधीन यथास्थिति, या तो आवेदन स्वीकृत करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा ।

परन्तु यह कि जहां आवेदन सुलभता संबंधी विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है, वहां सुलभता के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, स्थानीय समुदाय या स्थानीय लोगों के जो ऐसे परम्परागत ज्ञान संसाधनों के स्वामी हैं, विचार सुने जाएंगे ।

(ख) जहां आवेदन सुलभता संबंधी विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है, सुलभता की स्वीकृति दिए जाने के मामले में करार त्रिपक्षीय होगा अर्थात् प्राधिकरण, संसाधनों और ज्ञान की आपूर्ति करने वाले स्थानीय समुदाय/व्यक्ति तथा प्राप्तकर्ता के बीच । अन्य मामलों में, यह करार प्राधिकरण और प्राप्तकर्ता के बीच होगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा इसका विशेष रूप से उल्लेख न किया जाये ।

(ग) जैव-पूर्वेक्षण, जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग के लिए आवेदन पर इसी तरीके से विचार किया जायेगा ।

(6) संबंधित बोर्ड पूर्ववर्ती उपधारा के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने से पूर्व इस संबंध में स्वशासन के संबंधित स्थानीय निकाय या संस्थान के परामर्श से ऐसी जांच कर सकता है जैसा कि यह ठीक समझे ।

(7) (क) उपधारा (1), (3) और (5) के अनुसार अनुमोदन मांगने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जायेंगे, आवेदन में ऐसे विवरण दिए जायेंगे जैसा कि निर्धारित किए जायें ।

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि वह ठीक समझे तथा इसके समक्ष रखी गयी सामग्री पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाने वाली योजना के अनुसार रायल्टी के रूप में प्रभार लगाने सहित ऐसी शर्तों पर जैसा कि वह ठीक समझे अपनी अस्वीकृति या स्वीकृति जैसा भी मामला हो, भेजेगा । राष्ट्रीय प्राधिकरण, यदि कोई नयी सामग्री उसके ध्यान में लायी जाती है जिसके लिए उसे अपने किसी आदेश की समीक्षा, संशोधन या उसे वापस लेने की आवश्यकता हो, तो वह किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वतः ही अपने उस पारित आदेश की समीक्षा करने, संशोधन करने या उसे वापस लेने के लिए सक्षम होगा ।

(8) राष्ट्रीय प्राधिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उप-धारा (7) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत बनाये गए आदेशों के क्रियात्मक भाग की तत्परता से प्रविष्टि की जायेगी । ऐसा रजिस्टर लोगों के लिए खोला जायेगा तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किए गए प्रभारों का भुगतान करने पर इसमें की गयी प्रविष्टियों की प्रतियों की आपूर्ति की जायेगी ।

17. दण्ड

(1) धारा 16 की उपधाराओं (1) से (4) द्वारा निषेध किए गए किसी कार्य को करने या करने हेतु उकसाने के लिए किसी व्यक्ति, निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन को एक निश्चित अवधि के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगा तथा जिसे आर्थिक दण्ड के साथ 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(2) धारा 16 की उपधारा (5) के विरुद्ध किसी कार्य को करने या करने हेतु उकसाने के लिए किसी व्यक्ति निगमित निकाय, ऐसोसिएशन या संगठन को निश्चित अवधि के लिए दोनो प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायेगा जिसे आर्थिक दण्ड के साथ 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(3) किसी निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन द्वारा किए गए अपराध के मामले में ऐसे निगमित निकाय, ऐसोसिएशन या संगठन के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से दण्ड दिया जायेगा । यदि किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया जाता है या वह भारत में नहीं है तो प्रबंध समिति के निदेशक, ट्रस्टी या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे एक और प्रत्येक व्यक्ति को या ऐसे निगमित निकाय, एसोसिएशन या संगठन के प्रबंधन से संबद्ध व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है ।

(4) अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराधी की सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की जायेगी । उपरोक्त संहिता के अध्याय 17 और 17 में अन्तर्विष्ट प्रावधान इस प्रयोजन के लिए लागू होंगे । लगाये जाने वाले दण्ड की राशि की कोई सीमा नहीं होगी । दण्ड की राशि मामले के स्वरूप और हानि की राशि या इससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव सहित इस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

18. लाभों की समान भागीदारी

(1) धारा 16 के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय राष्ट्रीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदन की शर्तों से जैव-संसाधनों के उपयोग तथा इससे संबंधित ज्ञान से उत्पन्न लाभों का समान बंटवारा किया जा सके ।

(2) ऐसे लाभों में प्रौद्योगिकी का अन्तरण, अनुसंधान और विकास के स्थल, अनुसंधान और विकास तथा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के साथ भारतीय वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों या स्थानीय समुदायों की एसोसिएशन, उत्पादन एककों के स्थल, उद्यम पूंजी निधियों की स्थापना, प्रत्यक्ष आर्थिक, प्रतिपूर्ति और अन्य गैर-आर्थिक लाभ जैसे कि वस्तु के लिए उपयुक्त हो, जहाँ से इसे प्राप्त किया गया है, शामिल होंगे ।

(3) प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों को राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि में जमा किया जायेगा, उन मामलों को छोड़कर जहाँ जैव-संसाधन या ज्ञान विशेष व्यक्ति (व्यक्तियों) या व्यक्तियों के समूह या स्थानीय समुदायों या संगठनों से प्राप्त किया जाता है, ऐसे मामलों में धनराशि का भुगतान करार की शर्तों के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाएगा । लाभों के संयोजन के स्वरूप का निर्धारण प्रत्येक मामले के महत्व के अनुसार किया जायेगा ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण इस संबंध में बनाये गए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से अनुमोदन की स्वीकृति देने के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा ।

19. वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में पूर्व-अनुमति

(1) भारत में प्राप्त जैव-संसाधनों पर किसी अनुसंधान या सूचना पर आधारित कोई आविष्कार करने के लिए भारत में या भारत से बाहर किसी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए आवेदन करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में राष्ट्रीय अधिकरण से ऐसा आवेदन करने की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

(2) अनुमति देते समय, राष्ट्रीय प्राधिकरण लाभ बंटवारा शुल्क या रायल्टी या ऐसी अन्य शर्त लगा सकता है जैसा कि ऐसे अधिभार के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न वित्तीय लाभों के निपटान के संबंध में व्यवहार्य पाया जाये ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता, उसे दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायेगा जिसे आर्थिक दण्ड के साथ पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

20. जैव-विविधता का परम्परागत स्थल

(1) इस समय लागू किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार समय-समय पर संबंधित पंचायत या नगरपालिका के परामर्श से भारत सरकार या यूनेस्को द्वारा पहले से घोषित परम्परागत स्थल, यदि कोई है, के अतिरिक्त, जैव-विविधता परम्परागत स्थलों के रूप में जैव-विविधता महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से परम्परागत स्थलों के चयन, प्रबंध और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है ।

(3) राज्य सरकार ऐसी घोषणा से आर्थिक रूप से प्रभावित किसी भी वर्ग के लोगों को उपयुक्त रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए उपाय करेगी ।

21. विलुप्त होती जा रही प्रजातियां अधिसूचित करने की शक्ति

इस समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार समय-समय पर विलुप्त होती जा रही प्रजातियों को अधिसूचित कर सकती है तथा किसी प्रयोजन के लिए उनके संचयन को निषेध या विनियमित कर सकती है तथा ऐसी प्रजातियों को पुनः संगठित करने और संरक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है ।

22. जैव संसाधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए संग्रहालय

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से जैव संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए इस अधिनियम के अधीन संस्थानों और अन्य निकायों को संग्रहालयों के रूप में अभिहित कर सकती है । ये संग्रहालय अपने पास रखे गए वाउचर नमूनों सहित परिस्थिति-बाह्य अवस्थाओं में जैव-सामग्री अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे । अन्वेषित नये टक्सोन संग्रहालयों को या इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य संस्थान को अधिसूचित किए जायेंगे तथा इसके वाउचर नमूने उनके पास रखे जायेंगे ।

अध्याय-6

राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय जैव-विविधता निधि

23. राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि

(1) राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि स्थापित की जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुमोदन के परिणामस्वरुप प्राप्त शुल्क, रायल्टी या आर्थिक लाभ तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त दान/अनुदान या ऋण इस निधि में जमा किए जायेंगे ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निधि की देखरेख की जायेगी ।

(4) निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रोत्साहन देने हेतु तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा:

(क) जैव संसाधनों के संरक्षकों या ज्ञान के स्रष्टाओं और धारकों के लिए लोगों का श्रेणीबद्ध करना;

(ख) जैव संसाधनों के संरक्षण तथा विशेषरुप से उन क्षेत्रों में जहां से ऐसा संसाधन या ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैव संसाधनों का संरक्षण और विकास करना ;

(ग) संबंधित पंचायत या नगरपालिका के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना;

(घ) धारा–20 के अधीन अधिसूचित परम्परागत स्थलों का संरक्षण करना ।

(5) भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निधियों की लेखा परीक्षा की जायेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि के प्रबंधन और प्रशासन के लिए नियम बनायेगी ।

24. राज्य जैव-विविधता निधि

(1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में एक जैव-विविधता निधि स्थापित की जायेगी ।

(2) राष्ट्रीय जैव-विविधता निधि से अन्तरित निधियां तथा राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संस्थान द्वारा इस निधि के लिए दी गयी निधि और अन्य अनुदान इस निधि में जमा किए जायेंगे ।

(3) निधि का प्रबंधन, प्रशासन और लेखा परीक्षा इस प्रकार की जायेगी जैसा कि इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार किए गए नियमों द्वारा व्यवस्था की जाये ।

25. स्थानीय-जैव-विविधता निधि

(1) प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका में स्थानीय जैव-विविधता निधि स्थापित की जायेगी तथा इस संबंध में यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार इसकी व्यवस्था और लेखा परीक्षा की जायेगी ।

(2) संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता निधियों से अन्तरित निधियां तथा राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी अन्य संस्थान या संगठन द्वारा इन निधियों के लिए किए गए अन्य अनुदान इस निधि में जमा किए जायेंगे ।

(3) जैव-विविधता प्रबंधन समितियां, स्थानीय जैव-विविधता निधियों के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकती हैं ।

अध्याय-सात

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

26. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

(1) केन्द्रीय सरकार इस संबंध में संसद में अधिनियमित कानून द्वारा विनियोग के उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण को अनुदान के जरिये इतनी राशि जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु उचित समझे, भुगतान करेगी ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए इतनी राशि, जितनी वह उचित समझे, खर्च कर सकता है तथा इतनी राशि को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले व्यय के रूप में माना जायेगा ।

27. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(1) राज्य सरकार या जहां उपयुक्त हो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस संबंध में संसद में अधिनियमित कानून द्वारा विनियोग के उपरान्त राज्य संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड और जैव-विविधता प्रबंध समिति को अनुदान के जरिये इतनी राशि जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु उचित, समझे, भुगतान करेंगी । जहां, किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधान मंडल नहीं है, इस प्रयोजन के लिए धनराशि प्रशासक द्वारा स्वीकृत की जायेगी ।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड तथा जैव-विविधता प्रबंध समिति इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए इतनी राशि, जितनी वह उचित समझे खर्च कर सकते हैं तथा इतनी राशि उप धारा (1) निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय के रूप में मानी जायेगी ।

28. लेखा और लेखा परीक्षा

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, लेखाओं और अन्य संबंधित रिकार्डों का उचित रखरखाव करेगा तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा कि भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा इतने अन्तराल पर लेखा परीक्षा की जायेगी, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाये तथा ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त व्यय का राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक को भुगतान किया जायेगा ।

(3) नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और सुविधाएं तथा प्राधिकार प्राप्त होगा, जो सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में सामान्यतया नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को है तथा उसे विशेष रूप से पुस्तकों, लेखाओं संबंधित वाउचरों तथा अन्य अभिलेखों और पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक या इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं को इनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त बाद इन्हें संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखेगी ।

29. बोर्ड तथा प्रबन्ध समिति के लेखा और लेखा परीक्षा

(1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियां लेखाओं और अन्य संबंधित रिकार्डों का उचित रख रखाव करेंगे तथा ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि भारत के नियन्त्रक तथा

महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेंगे ।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड तथा जैव-विविधता प्रबन्ध समिति के लेखाओं की भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक द्वारा इतने अन्तराल पर लेखा परीक्षा की जायेगी, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाये तथा ऐसे लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त व्यय का राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड और जैव-विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा नियन्त्रक तथा महा लेखा-परीक्षक को भुगतान किया जायेगा ।

(3) नियन्त्रक तथा महा लेखा-परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड तथा जैव-विविधता प्रबन्ध समिति के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और सुविधायें तथा प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में सामान्यतया नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को हों तथा इसे विशेष रूप से पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य अभिलेख और पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड और जैव-विविधता प्रबन्ध समिति के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक या इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड तथा जैव-विविधता प्रबन्ध समिति के लेखाओं को इनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वार्षिक रूप से भेजा जायेगा, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त बाद, इसे संबंधित विधानमंडल के पटल पर रखेगा ।

अध्याय-8

प्राधिकरण का अधिक्रहण और विघटन

30. प्राधिकरण को निदेश देने हेतु केन्द्र सरकार की शक्तियां

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसके विचार से आवश्यक हों या इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समयोचित हों । राष्ट्रीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे ।

31. राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिक्रमण

(1) यदि केन्द्र सरकार का यह विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है या अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में निरन्तर गलितयां की है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, तो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इतनी अवधि के लिए, जैसे कि अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाये, प्राधिकरण का अधिक्रमण कर सकती है ।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व सरकार नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उत्तर देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि प्राधिकरण का अधिक्रमण क्यों न कर दिया जाये तथा प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आपत्ति पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्राधिकरण का अधिक्रमण :—

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्यों को अधिक्रमण की तारीख से अपने कार्यभार छोड़ने होंगे;

(ख) सभी शक्तियां और कर्तव्य, जो इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या इनके अधीन प्राधिकरण और अध्यक्षपीठ द्वारा या इसकी ओर से, प्रयोग या निष्पादित किए जा सकते हैं, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति, जैसा कि सरकार निदेश दे द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जायेंगे;

(ग) प्राधिकरण में निहित सभी निधियां और इसकी सम्पत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित होंगी; और

(घ) प्राधिकरण के प्रति कानूनी रूप से अवस्थित और प्रवर्तनीय सभी दायित्व, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति उनमें निहित निधियों और सम्पत्तियों की सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने पर केन्द्र सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है :—

(क) अधिक्रमण की अवधि, इतनी और बढ़ाई जा सकती है जितनी कि आवश्यक समझी जाये; या

(ख) धारा-3 में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुरूप प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है ।

परन्तु यह कि अधिक्रमण की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

32. राष्ट्रीय प्राधिकरण का विघटन

(1) केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके यह घोषणा कर सकती है कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, राष्ट्रीय प्राधिकरण विघटित समझा जायेगा ।

परन्तु यह कि केन्द्र सरकार द्वारा तब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की जायेगी जब तक कि संसद की दोनों सभाओं में इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया हो और दोनों सभाओं द्वारा इसे पारित न कर दिया गया हो ।

(2) उप धारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से :—

(क) सभी सदस्य अपना पदभार छोड़ देंगे;

(ख) सभी सम्पत्ति, निधियां और देय राशि जो प्राधिकरण में निहित है या इसके द्वारा प्राप्त की जानी है, केन्द्र सरकार में निहित होगी और केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त की जायेगी; और

(ग) प्राधिकरण के प्रति प्रवर्तनीय सभी दायित्व केन्द्र सरकार में निहित या उसे प्राप्त सम्पत्ति, निधियां और देय राशि की सीमा तक केन्द्र सरकार के प्रति प्रवर्तनीय होंगे ।

अध्याय-9

प्रकीर्ण

33. दण्ड और अपराध

कोई व्यक्ति, निगमित निकाय, संस्थान या संगठन, जो इस देश की जैव विविधता के प्रतिकूल कोई कार्य जानबूझकर कर रहा है या करने के लिए उकसा रहा है, उसको कठोर कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जिसे आर्थिक दण्ड के साथ पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

34. अन्य विधियों का प्रभाव

(1) इस अधिनियम के प्रावधान किसी अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम के कारण प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे । इस अधिनियम के प्रावधानों और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के बीच किसी असंगति के मामले में इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे तथा पेटेन्ट अधिनियम में कोई ऐसा असंगत प्रावधान अमान्य होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों, चाहे ये अधिनियम संसद द्वारा या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए हों, को इस अधिनियम के प्रयोजन के सुसंगत समर्थक और प्रोत्साहक के रूप में पढ़ा जायेगा ।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले के संबंध में वन, पर्यावरण या पारिस्थितिकी से संबंधित किसी विधि के अधीन राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना, तैयार की गई योजनाएं या दिए गए आदेश इस तथ्य के उपरांत भी जारी रहेंगे कि इन्हें किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा दिया गया, जारी किया गया या तैयार किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए प्राधिकरण से भिन्न है, परन्तु यह कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों ।

35. राज्य सरकार को निदेश देने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति

केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति होगी ।

36. छूट देने की शक्ति

(1) केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने, इस अधिनियमके अभिप्राय से किसी जैव-संसाधन या क्षेत्र को छूट प्रदान कर सकती है ।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जायेगी, जिसकी अवधि चार सप्ताह से कम नहीं होगी ।

37. आयकर से छूट

आयकर अधिनियम, 1961 या लाभ या प्राप्तियों पर कर से संबंधित इस समय लागू किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड तथा स्थानीय जैव-विविधता बोर्ड अपने लाभों, आय या प्राप्तियों के संबंध में आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे ।

38. निष्ठापूर्वक की गई कार्यवाही की सुरक्षा

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसरण में निष्ठापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी ।

39. अपराध का संज्ञान

(1) कोई न्यायालय, केन्द्र सरकार या किसी अधिकरण या सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत, अधिकारी द्वारा की गयी शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध के आरोप की निजी शिकायत तथाकथित अपराधी को लिखित नोटिस देने या उसके आवास या कार्यालय पर नोटिस पहुंचाने के उपरान्त अगले दस दिन बीत जाने तक, संस्थित नहीं की जायेगी ।

40. प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होंगे

इस अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण के सभी सदस्यों तथा उस प्राधिकरण के सभी अधिकारी और कर्मचारी, जब तक इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनाये गए नियमों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का दावा कर रहे हों, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के आशय के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी माना जायेगा ।

41. शक्ति का प्रत्यायोजन

केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, उन शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्य जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड, स्थानीय जैव-विविधता बोर्ड या उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकती है ।

42. रिक्ति या दोष, जो की गई कार्यवाही की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा

राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड, जैव-विविधता प्रबन्ध समिति या स्थानीय जैव-विविधता बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर आपत्तिजनक या अवैध नहीं होगी कि इसके गठन में कोई रिक्ति या दोष विद्यमान है या उसका कोई एक सदस्य अवैध या कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन विचार-विमर्श, निर्णय लेने या अन्य कार्यवाही करने के दौरान अनुपस्थित रहा/रहे है/हैं या उसने/उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है ।

43. प्रवेश, निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड या स्थानीय जैव-विविधता बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने के प्रयोजन हेतु किसी परिसर और किसी वाहन, जलयान, वायुयान या अन्य परिवहन में प्रवेश कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है, यदि वह समझता है कि जैव-विविधता के प्रतिकूल या इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत कोई कार्यकलाप किया जा रहा है, ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे आधान, जलयान या वाहन जिसमें यह सामग्री रखी गयी है या ले जायी जा रही है सहित किसी सामग्री, पौधे, पशु या किसी अन्य वस्तु का अभिग्रहण करने हेतु सक्षम होगा, यदि वह समझता है कि ऐसी सामग्री, पौधे, पशु या अन्य वस्तु को रखना या इनका उपयोग करना भारत की जैव-विविधता के प्रतिकूल है या इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण या कोई राज्य संघ/राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड या स्थानीय जैव-विविधता बोर्ड किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या संगठन से इस अधिनियम के प्रयोजन से संबंधित कोई सूचना, कागजात या अन्य सामग्री मांगने के लिए सक्षम होगा, यदि वह समझता है कि ऐसी सूचना, कागजात या अन्य सामग्री इस अधिनियम के प्रयोजन से संबंधित है । ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा सहायता के लिए की गयी किसी मांग को किसी सरकारी अधिकरण, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा तत्परता से पूरा किया जायेगा ।

44. नियम बनाने संबंधी केन्द्र सरकार की शक्ति

(1) केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित प्रत्येक नियम, इसके अधिनियम के तुरन्त बाद, संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जायेगा, जबकि संसद का सत्र तीस दिन की कुल अवधि का हो, जो एक सत्र या दो सत्र या अधिक लगातार सत्रों में समाविष्ट हो सकती है और सत्र समाप्त होने से पूर्व या सत्र के तत्काल बाद किसी सत्र या उपरोक्त लगातार सत्रों में दोनों सभायें नियम में संशोधन करने हेतु सहमत हों या दोनों सभायें इस बात से सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके बाद यह, नियम ऐसे संशोधित रूप में ही यथास्थिति प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, कि ऐसा कोई संशोधन या विलोपन उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

45. नियम बनाने संबंधी राज्य सरकार की शक्ति

(1) कोई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियम अधिनियमित कर सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के तुरन्त बाद, राज्य विधानमंडल की प्रत्येक सभा के पटल पर रखा जायेगा, जहां दोनों सभाएं विद्यमान हों या जहां ऐसे विधानमंडल में केवल एक सभा हो, उस सभा के पटल पर रखा जायेगा या जैसा भी मामला हो, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा, जहां लागू हो, के पटल पर रखा जायेगा ।

46. छूट देने की शक्ति

यदि केन्द्र सरकार यह समझती है कि किसी दूसरी सरकार के साथ किए गए किसी अन्यान्य करार को कार्यान्वित करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ऐसा करने के लिए, यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के संचालन से किसी व्यक्ति या अधिकरण को, सामान्यतया या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाये, छूट दे सकता है ।

47. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके, ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं हो, और ऐसा प्रतीत होता हो कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए ये आवश्यक या उचित है ;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश तैयार नहीं किया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक आदेश को, इसके तैयार किए जाने के तत्काल बाद, संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जायेगा ।

2000M/J283MofLJ&CA—75Copies—23-5-2002—GIPS

PLD 92.CLXXI (HINDI)
75-2001-DSK IV

मूल्य : देश में—868 रु०; विदेश में—33 पौण्ड, 7 शि०, 8 पैं० या 55 डालर, 64 सैंट्स

2002
प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय शिमला द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन नियन्त्रक सिविल लाईन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित